

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, डुमरी (गिरिडीह)

वाद सं. 87/2021

मिथुन साव वगै० -बनाम- मुन्नी देवी वगै०

(द.प्र.सं. की धारा 107)

का क्रमांक एवं दिनांक	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही एवं तिथि
1	2	3
<p>21.06.22</p>	<p>अभिलेख उपस्थापित। डुमरी थाना अप्राथमिकी संख्या 62/2021 दिनांक 16.12.2021 द्वारा उभय पक्ष के सदस्यों को द.प्र.सं. की धारा 107 के तहत प्रतिबंधित करने से संबंधित प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में इस वाद को पंजीकृत करते हुए द.प्र.सं. की धारा 107 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ किया गया एवं उभय पक्ष के सदस्यों के नाम से नोटिस निर्गत किया गया।</p> <p>निर्गत नोटिस के आलोक में केवल द्वितीय पक्ष सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा कारणपृच्छा दाखिल नहीं किया गया। नोटिस तामिला प्राप्त है।</p> <p>डुमरी पुलिस के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि उभय पक्षों के बीच डुमरी थाना कांड संख्या-83/21, दिनांक 22.09.2021, धारा-452/341/323/324/307/34 भा०द०वि० एवं 3/4 डायन प्रथा प्रतिशोध अधिनियम के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया। इस काण्ड में जख्मी लोगों का इलाज के क्रम में जख्मी गजाधर साव पे० स्व० धुमा साव, ग्राम कुलगो की मृत्यु हो गई है। जिसके कारण उभय पक्षों के बीच विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए उभय पक्षों को द०प्र०सं० की धारा 107 के तहत प्रतिबंधित करने का प्रतिवेदन समर्पित किया गया।</p> <p>प्रथम पक्ष के सदस्यों के द्वारा न्यायालय में उपस्थिति दर्ज नहीं की गई तथा कारणपृच्छा दाखिल नहीं किया गया जिसके कारण उनका पक्ष से न्यायालय अवगत नहीं हो सका।</p> <p>चूंकि, उभय पक्षों के बीच डुमरी थाना में विभिन्न धाराओं के तहत काण्ड दर्ज है एवं मामला माननीय न्यायालय में लंबित है। अतएव इस वाद में उभय पक्षों के बीच माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय आने तक विधि-व्यवस्था शांत रहे इस बात हेतु न्यायालय गंभीर है।</p> <p>अतः उभय पक्षों में शांति-व्यवस्था बहाल रहे तथा क्षेत्र में विधि-व्यवस्था शांत रहे इस बात को सुनिश्चित करने हेतु उभय पक्ष के सदस्यों को अगले एक साल के लिए शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु मो. 5000/-रु. के दो-दो प्रतिभूतियों के अविलंब न्यायालय में बन्ध पत्र दाखिल करने के आदेश दिया जाता है। आज प्रस्तुत वाद में सुनवाई की अंतिम तिथि है अतएव प्रस्तुत वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति उभय पक्षों को उपलब्ध कराएँ एवं Jharkhand RCMS Portal में अपलोड करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>21.06.22</p> <p>अनुमण्डल-दण्डाधिकारी, डुमरी।</p> <p>अनुमण्डल दण्डाधिकारी, डुमरी।</p>	